



सत्यमेव जयते

स्पीड पोस्ट

एवं ई-मेल

SPEED POST

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. CBS/2/2018/STGCG/DELAAL/RU-III

दिनांक: 12-07-2019

सिटिंग नोटिस

विषय: आदिवासी राजगोंड स्व. श्री दिलीप सिंह के करीब 9 एकड़ कृषि भूमि हड़प के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग के कार्यालय में भू-राजस्व संहिता की 1959 की धारा (170ख) में दर्ज प्रकरण क्रमांक: 01 अ/23 वर्ष 2015-2016 में शीघ्रतिशीघ्र कार्यवाही के संबंध में-श्री चंद्रभान सिंह, मठपारा वार्ड नं. 03, पार्षद नरेंद्र बंजारे के घर के पीछे गली में, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) का दिनांक 31-12-2017का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग के समसख्यक नोटिस दिनांक 09.01.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 26.03.2018/20.12.2018 का संदर्भ ग्रहण करें।

वृकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 23.07.2019 को 03.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डा. ललित लड्डी)

निदेशक

दूरभाष-24615012

सेवा में,

जिला - कलेक्टर,
जिला-दुर्ग
(छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री चंद्रभान सिंह,

मठपारा वार्ड नं. 03, पार्षद नरेंद्र बंजारे के घर के पीछे गली में,
दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)

5461-62
15/7/19
जारी किया
15/7/19